न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 105/2016/वाद पत्र	तारीख दायर 04.03.2016	तारीख फैसला 08.02.2018

डनवान

रामदेव पिता उगमा खटीक निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां

– वादी

बनाम

1– धन्ना पिता सुखा बैरवा निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
2– उगमा पिता भागीरथ बैरवा निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
3– मु0 हीरा बेवा भागीरथ बैरवा निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
4– तहसीलदार, फूलियाकलां
5– सांवरा पिता भागूता चमार निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री रामप्रसाद जाट : अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया गया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है ग्राम फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 5 के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी नम्बर 3303 रकबा 0.41 है0, आ0न0 3304 रकबा 0.06 है0 गै0मु0 मकान, आ0न0 3305 रकबा 0.48 है0 किता 3 रकबा 0.95 है0 स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1/4 हिस्सा निहित है। वादी अपनी कृषि आराजीयात मे लागत लगाकर अधिक उपजाउ बनाना चाहता है किन्तु खाता संयुक्त होने से ऐसा संभव नही है। अतः वादी को अपने 1/2 हिस्से अनुसार माप परिमाप के आधार पर बंटवाड़ा कर खाता व नक्शा अलग दर्ज कराया जावे।

प्रकरण पजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटि तलब किया गया। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा से स्थानान्तरण होक प्राप्त होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते साक्ष्य वादी के दिनां 13.10.2016 नियत किया गया। दिनांक 20.10.2016 को वादी स्वयं का शप पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है नकल अभिभाष प्रतिवादी को दी जाकर प्रकरण वास्ते जिरह के नियत किया गया। दिना 17.11.2016 को अभिभाषक श्री अनिल शर्मा ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम (2) व धारा 151 जा0दी0 पेश किया जिस पर वकील वादी द्वारा कोई आप नही करने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधन उनवान के नि

वास्ते संशोधन जवाब दावा के नियत किया गया। दिनांक 22.09.2017 को अभिभाषक प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 की प्रति उपलब्ध कराई गई प्रकरण जवाब/बहस प्रार्थना पत्र के नियत किया गया। अभिभाषक प्रतिवादी ने प्रतिवादी नं0 5 की ओर से दिनांक 10.11.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बंटवाड़ा किये जाने पर कोई आपत्ति नही है। प्रकरण पूर्व वाद की जिरह हेतु नियत किया गया। दिनांक 15.12.2017 को अभिभाषक प्रतिवादी ने हिदायत पैरवी नही होना जाहिर किया जिससे प्रकरण अन्तिम बहस के नियत किया गया। दिनांक 25.01.2018 को बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। बहस मे अभिभाषक वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं प्रस्तुत ग्राम फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां की जमाबन्दी संवत 2072 से 75 खाता संख्या 489 आराजी नम्बर 3303 रकबा 0.41 है0, आ0न0 3304 रकबा 0.06 है0 गै0मु0 मकान, आ0न0 3305 रकबा 0.48 है0 किता 3 रकबा 0.95 है0 मे वादी रामदेव पिता उगमा खटीक 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है प्रतिवादी नं0 1 धन्ना ने अपना 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 5 सांवरा को बेचान कर दिया है प्रतिवादी नं0 2 व 3 उगमा पिता भागीरथ, हीरी बेवा भागीरथ चमार 1/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का वादग्रस्त आराजीयात मे 1/2 हिस्सा दर्ज होकर खातेदार काश्तकार दर्ज होने से माप परिमाप पद्वति से बंटवाड़ा कराना चाहता है। उपरोक्त आराजीयात मे आ0न0 3304 रकबा 0.06 है0 गै0मु0 मकान दर्ज रेकार्ड है जिसका बंटवाड़ा नहीं किया जा सकता है। अतः वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार जाकर प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0ए0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम फूलियाकलां प0ह0 फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा मे स्थित जमाबन्दी सवंत 2072–75 के खाता संख्या 489 आराजी नम्बर 3303 रकबा 0.41 है0, आ0न0 3305 रकबा 0.48 है0 किता 2 रकबा 0.89 है0 में से वादी का 1/2 हिस्सा अनुसार माप परिमाप पद्वति के आधार पर बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा स्कीम मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में तैयार कर पेश करने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को 300/– रूपये कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि वादी से मौके पर प्राप्त करें। आ0न0 3304 रकबा 0.06 है0 गै0मु0 मकान शामलाती दर्ज है जो यथावत रहेगा। प्राथमिक डिक्री जारी हो डिक्री की प्रमाणित फोटोप्रति तहसीलदार, फूलियाकलां को भेजी जाकर पालना हेतु लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 08.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं

प्राथमिक डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर0ए0एस0

पिता उगमा खटीक निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां

—वादी

बनाम

पिता सुखा बैरवा निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
पिता भागीरथ बैरवा निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
बेवा भागीरथ बैरवा निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
तहसीलदार, फूलियाकलां
पिता भागूता चमार निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां

—प्रतिवादीगण

पत्र अन्तर्गत धारा **53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955**
नम्बर **105 सन् 2016 राजस्व वाद**

मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X.............. मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाके ग्राम फूलियाकलां फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित जमाबन्दी 2072–75 के खाता संख्या 489 आराजी नम्बर 3303 रकबा 0.41 है0, आ0न0 3305 रकबा .48 है0 किता 2 रकबा 0.89 है0 मे से वादी का 1/2 हिस्सा अनुसार माप परिमाप पद्वति के आधार पर बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा स्कीम मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों मे तैयार कर पेश करने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 300/— रूपये कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि वादी से मौके पर प्राप्त करे। आ0न0 3304 रकबा 0.06 है0 गै0मु0 मकान शामलाती दर्ज है जो बदस्तूर रहेगा।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख **08** माह **02** सन् **2018** से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां,जिला–भीलवाड़ा